उत्तरांचल शासन

वित्त अनुभाग–3

संख्या– /267 XXVII(3)म-पे/2004

देहरादून:दिनांक 9 जून,2004

कार्यालय–ज्ञाप

विषय : राज्य सरकार के कर्मचारियों /पेंशनर्स के वेतन/ पेंशन में दिनांक 1.4.04 से 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता /मंहगाई राहत का मूल वेतन/पेंशन में विलय।

पाँचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के पैरा 105.11 की संस्तुति के क्रम में भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों /पेंशनरों के मूल वेतन में मंहगाई भत्ते का 50 प्रतिशत जोड़े जाने के निर्णय के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा भी अपने कर्मचारियो /पेंशनरों के मूल वेतन में मंहगाई भत्ता/ मंहगाई राहत के 50 प्रतिशत को जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है।

2. अत: अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 1.4.2004 से राज्य सरकार के कर्मचारियो/पेंशनर्स के मूल वेतन में उनको मंहगाई भत्ते/मंहगाई राहत के 50 प्रतिशत के बराबर धनराशि को मूल वेतन में विलय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त विलय किये गये मंहगाई भत्ते को मंहगाई वेतन (डी0पी0) के रूप मे पृथक से प्रदर्शित किया जायेगा। मूल वेतन में विलय किये गये उक्त मंहगाई भत्ते को सेवानिवृत्तिका लाभ, सामान्य भविष्य निधि अंशदान एवं विभिन्न प्रकार के अग्रिमों के लिए आंगणित किया जायेगा परन्तु अवकाश यात्रा सुविधा, यात्रा भत्तों एवं स्थानान्तरण के समय देय यात्रा भत्ता /दैनिक भत्ता, मकान किराया भत्ता, मूल वेतन को ही आधार मानकर पूर्व की भांति देय होगा तथा इसमें मंहगाई वेतन (डी0पी0) को आगणित नही किया जायेगा। जिन कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटित है,ऐसे प्रकरण में भी मूल वेतन के आधार पर ही मकान किराया पूर्व की भांति वेतन से काटा जायेगा।

3. राज्य सरकार के पेंशनरों के प्रकरण में उनको वर्तमान पेंशन में देय मंहगाई राहत के 50 प्रतिशत के बराबर की धनराशि का विलय पेंशन में कर दिया जायेगा तथा इसे मंहगाई पेंशन (डी0पी0) के रूप मे अलग से प्रदर्शित किया जायेगा।

4. मंहगाई वेतन /मंहगाई पेंशन मे परिवर्तित मंहगाई भत्ता/मंहगाई राहत क्रमश: मंहगाई भत्ता/मंहगाई राहत की वर्तमान दरो से काटा जायेगा(उदाहरणार्थ मँहगाई वेतन को बाद दिनांक 1.4.2004 से 11 प्रतिशत मँहगाई भत्ता/राहत अनुमन्य होगा)।

5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिनांक 1.4.2004 से 31.1.2005 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगियो को पेंशन निर्धारण में कोई हानि न हो, उनके मामले में विशेष व्यवस्था के रूप में, मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर मंहगाई भत्ते को दिनांक 1.4.2004 से पूर्व उनके द्वारा प्राप्त मूल वेतन के सम्बन्ध में पेंशन के परिकलन /आंकलन के प्रयोजनों हेतु मूल वेतन के रूप में माना जायेगा। परिणाम स्वरूप मंहगाई पेंशन का भाग केवल दिनांक 31.3.2004 तक राज्य सरकार से सेवा निवृत्त/ सेवा निवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों के लिए लागू होगा।

6. दिनांक 1.4.2004 अथवा उसके बाद यदि कोई वेतन वृद्धि अथवा अन्य कारण से वेतन/पेन्शन मे पुनरीक्षण देय होता है,ऐसी स्थिति में भी 50 प्रतिशत के बराबर मँहगाई वेतन अनुमन्य होगा।

7 उक्त कार्यालय ज्ञाप द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिए लागू व्यवस्था के फलस्वरूप दिनांक 01 अप्रैल, 2004 से 30जून, 2004 तक की देय अवशेष धनराशि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में

जमा की जायेगी। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह नकद दी जायेगी। जो कर्मी उक्त कार्यालय ज्ञाप निर्गत होने के दो माह के अन्दर सेवा निवृत्त हो रहे हैं,को उक्त अवशेष धनराशि का नकद भुगतान किया जायेगा।

8. आय व्ययक में महँगाई वेतन/राहत को पृथक से प्रदर्शित किया जाना है अतः बजट प्राविधान के उपरान्त,धनराशि के आवंटन एवं भुगतान की प्रक्रिया के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा अलग से आवश्यक निर्देश निर्गत किये जायेंगें।

9. राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में जहां पूर्व से पूर्णतया सरकारी कर्मचारियों की भांति महँगाई भत्ता/राहत देय है ऐसी संस्थाओं में भी महँगाई वेतन/ राहत की प्रक्रिया उपरोक्त शर्तों के अधीन ही लागू की जायेगी।

डी0एन0सिंह
अपर सचिव

संख्या–1267 XXVII(3)म-पे/2004, दिनांक : 9 जून 2004

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
3. सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल देहरादून।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल देहरादून।
5. महानिबंधक,उच्च न्यायालय,उत्तरांचल,नैनीताल।
6. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।
8. क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/ कुमाऊँ मण्डल।
9. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. रिजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमीशनर,कानपुर/देहरादून।
11. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
12. वित्त अधिकारी/कुल–सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तरांचल।
13. उप–निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियाँ मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(डी0एन0सिंह)
अपर सचिव